सोशल मीडिया सेल जनपद आजमगढ़

पत्र संख्याः-338/प्रेसनोट/2020 **दिनांकः- 02 सितम्बर 2020**

प्रेस-विज्ञप्ति

थाना सिधारी

50 लीटर अवैध अपमिश्रित शराब,29 शीशी देशी शराब,120000 ढक्कन (देशी व विदेशी शराब की बोतलो की),तथा 17,500 नकली क्यू0आर0कोड के साथ एक अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ सुधीर कुमार सिंह द्वारा अपराध नियंत्रण एव अवैध मादक पदार्थ के निष्कर्षण,परिवहन एव विक्री के विरूध चलाये जा रहे अभियान के दृष्टिगत दिंनांक 01/09/2020 को आबकारी निरीक्षक विजय कुमार क्षेत्र-1 सदर आजमगढ़ मय हमराह मय निजी वाहन से इल्काये क्षेत्र मे निकला था कि नरौली चौराहे पर खड़े आ0नि0 हरिन्द्र कृष्णन प्रवर्तन आजमगढ़ व आ0नि 0 जे0पी0 पाण्डेय एस एस एफ (ए) मय हमराह ओमकार नाथ पाण्डेय ,रामकिशुन यादव व राजीव चौधरी प्र0आ0सि0 व शैलेन्द्र कुमार सिंह आ0सि0 व प्रदीप कुमार सिंह आ0सि0 व प्रवीण कुमार सिंह आ0सि0 मय संविदा वाहन मिले तभी उप निरीक्षक हरिश्चन्द्र प्रसाद मय हमराह विनोद दुबे हे0का0 कर्ण यादव आरक्षी भी वहाँ पर आ पहुँचे और हम सब आपस मे अवैध शराब की रोकथाम के सबन्ध मे बातचीत कर ही रहे थे कि तभी मुखबिर खास ने सुचना दिया कि बेलइसा के निकट सर्फुद्दीनपुर वार्ड न0-15 मे अवैध शराब फैक्ट्री का संचालन हो रहा है यदि शीघ्रता करे तो उसको पकड़ा जा सकता है मुखबिर खास की सुचना विश्वास करते हुए हम सभी एक साथ मुखबिर की निशानदेही वाले स्थान पर पहुचे । निशानदेही वाले स्थान के पास जैसे हमारी संयुक्त टीम पहुंची मुखबिर एक टीन सेड युक्त कमरे की ओर इशारा कर गाड़ी से उतर गया । टीन सेड युक्त कमरे को चारो ओर से घेर लिया गया और मय फोर्स के साथ टीन सेड युक्त कमरे में पहुंचा तो एक व्यक्ति बैठकर शीशी में अपमिश्रित शराब भर रहा था और शीशी के ढक्कन उसके आस पास बिखरे पड़े है। जब कमरे मे तलाशी ली गयी तो दो जेरीकेन बरामद हुए जिनके ढक्कन को खोला गया तो उसमे भरे द्रव को सुघने पर शराब जैसी तीक्ष्ण गंध आ रही थी। एक निले रंग के जरकिन मे लगभग 40 लीटर तथा दूसरे सफेद रंग के जेरकीन मे लगभग 10 लीटर शराब है पास मे रखी 02 किग्रा यूरिया भी बरामद की गयी। मौके पर मौजूद व्यक्ति को पकड़ कर पूछताछ की गयी तो उसने बताया की साहब मै नौशादर व युरिया का अपमिश्रण कर शराब को तीक्ष्ण कर शीशियो मे भरकर बेचता हूँ। पकडे गए व्यक्ति से नाम व पता पूछा गया तो उसने अपना नाम चन्दन यादव पुत्र स्व0 हरिराम यादव नि0 मुसेपुर था0 सिधारी आजमगढ़ बताया । कड़ाई से पुछताछ किया गया उसने बताया कि पैसे की लालच मे मै नकली शराब,व दिल्ली से ढक्कन व क्यू0आर0कोड़ मंगाकर शराब तस्करो को बेचता हूं व मोटर साइकिल से भी पहुचा देता हूँ मौके पर देखा गया तो पालिथीन के थैलो मे देशी व विदेशी शराब की शीशीयो के ढक्कन बरामद किया गया जिनकी गिनती कि गयी तो IGL लिखे हुए गाढे निले रंग के 20000 ढक्कन , IGL लिखे हुए हरे रंग 30000 ढक्कन ,IGL लिखे हुए गाढे पीले रंग के 17000 ढक्कन ,रेडियो खेतान लिखे पीले रंग 13000 ढक्कन,IGL मैरून रंग के 4000 ढक्कन , IGL सफेद रंग के 18000 ढक्कन , विदेशी मदिरा की शीशियो के रेडिको 8 PM के 2000 ढक्कन , सीग्राम रायल स्टैग के 4000 ढक्कन , सिग्राम इम्पिरियल ब्लू के 3000 ढक्कन, मैकडावेल के 2000 ढक्कन तथा विभिन्न मिश्रित ब्राण्डो 7000 ढक्कन ,इस प्रकार देशी व विदेशी मदिरा की शिशियो के कुल 120000 ढक्कन बरामद किये गये व इसके साथ नकली क्यू0आर0कोड के साढे

तीन बण्डल (लगभग 17500) मौके से बरामद किया गया तथा मौके से ही गत्ते मे रखी रेडिको खेतान लगी ढक्कन वाली रैपर के 29 अवैध देशी शराब की शिशिया (प्रत्येक 200 ML) व मौके से ही एक सुपर सप्लैण्डर काले रंग की मोटरसाइकिल UP50 BQ3635 भी बरामद हुई। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 136/2020 धारा 60(1),72 आबकारी अधिनियम तथा 419,420,467,468,471 भादवि पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त

चन्दन यादव पुत्र स्व0 हरिराम यादव निवासी मूसेपुर थाना सिधारी जनपद आजमगढ।

पंजीकृत अभियोग

मु0अ0सं0- 136/2020 धारा 60(1),72 आबकारी अधिनियम तथा 419,420,467,468,471 भादवि थाना सिधारी जनपद आजमगढ .

बरामदगी

1. देशी व विदेशी शराब के बोतलो व शीशीयो के 1,20,000 ढक्कन
2.नकली क्यूआर कोड लगभग 17500.
3. 50 लीटर अपमिश्रीत शराब
4.29 अदद देशी शराब के पौवे
5. 2 किलोग्राम यूरिया
6. एक अदद सुपर स्पेलडर काले रंग की नं0-UP50BQ 3635

गिरफ्तारी करने वाली टीम का विवरण

1. आबकारी निरीक्षक विजय कुमार क्षेत्र 1 सदर आजमगढ,आबकारी निरीक्षक हरिन्द्र कृष्णन प्रवर्तनआबकारी निरीक्षक जे0पी0 पाण्डेय मय हमराह।
2. उ0नि0 श्री हरिशचन्द्र प्रसाद मय थाना सिधारी जनपद आजमगढ।